

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-22
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: 90A/JDA/2025-26/100424

दिनांक: 24/12/2025

लोक सूचना

श्री RAM PRASAD MEENA पुत्र श्री SAVATA RAM MEENA जाति MEENA निवासी SHRANGARPURA, NARAYAN VIHAR, MANSAROVAR, JAIPUR

श्रीमति KUSUM MEENA पत्नी श्री MADAN LAL MEENA जाति MEENA निवासी B-5/28, THIRD FLOOR, SAFDARJUNG ENCLACE, SOUTH WEST, VASANT VIHAR, DELHI

श्री MADAN LAL MEENA पुत्र श्री KHEIRATI RAM MEENA जाति MEENA निवासी B-5/28, THIRD FLOOR, SAFDARJUNG ENCLACE, SOUTH WEST, VASANT VIHAR, DELHI

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हैक्टे.)	रूपांतरण क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	गणेशपुरा, माधोराजपुरा (जयपुर)	1.) कुसुम मीणा पत्नि मदनलाल मीणा हिस्सा 3 / 8 जाति मीणा निवासी 229 सी स्कीम न. 5 नया बास अलवर जिला अलवर राज. हाल निवासी बी 5 / 28 सफदरजंग एन्केलव्य देहली भारत 110029 खातेदार 2.) मदनलाल पुत्र खेरातीराम हिस्सा 1 / 8 जाति मीणा निवासी 229 सी स्कीम 5 नया बास अलवर हाल निवासी वी 5 / 28 सफदरगंज एन्केलव्य देहली भारत खातेदार 3.) रामप्रसाद मीणा पुत्र सावता राम मीणा हिस्सा 1 / 2 जाति मीणा निवासी श्रृंगारपुरा नारायण विहार मानसरोवर जयपुर खातेदार	41	0.8599	0.815

2.	गणेशपुरा, माधोराजपुरा (जयपुर)	1.) कुसुम मीणा पत्नि मदनलाल मीणा हिस्सा 3 / 8 जाति मीणा निवासी 229 सी स्कीम न. 5 नया बास अलवर जिला अलवर राज. हाल निवासी बी 5 / 28 सफदरजंग एन्केलव्य देहली भारत 110029 खातेदार 2.) मदनलाल पुत्र खेरातीराम हिस्सा 1 / 8 जाति मीणा निवासी 229 सी स्कीम 5 नया बास अलवर हाल निवासी वी 5 / 28 सफदरगंज एन्केलव्य देहली भारत खातेदार 3.) रामप्रसाद मीणा पुत्र सावता राम मीणा हिस्सा 1 / 2 जाति मीणा निवासी श्रृंगारपुरा नारायण विहार मानसरोवर जयपुर खातेदार	42	1.353	1.18
कुल					1.995

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी **SSO ID** से लॉग इन कर **JDA** के **90-A** मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (<https://jda.rajasthan.gov.in/>) पर **"विज्ञप्ति के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करें।"** Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराएं ।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **24-12-2025** को जारी की गयी।

Newspaper name (as per roster)
RAJASTHAN PATRIKA & DAINIK NAVAJYOTI

प्राधिकृत अधिकारी जोन-22
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

